आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में

नारी-अस्मिता

का धरातलीय सच

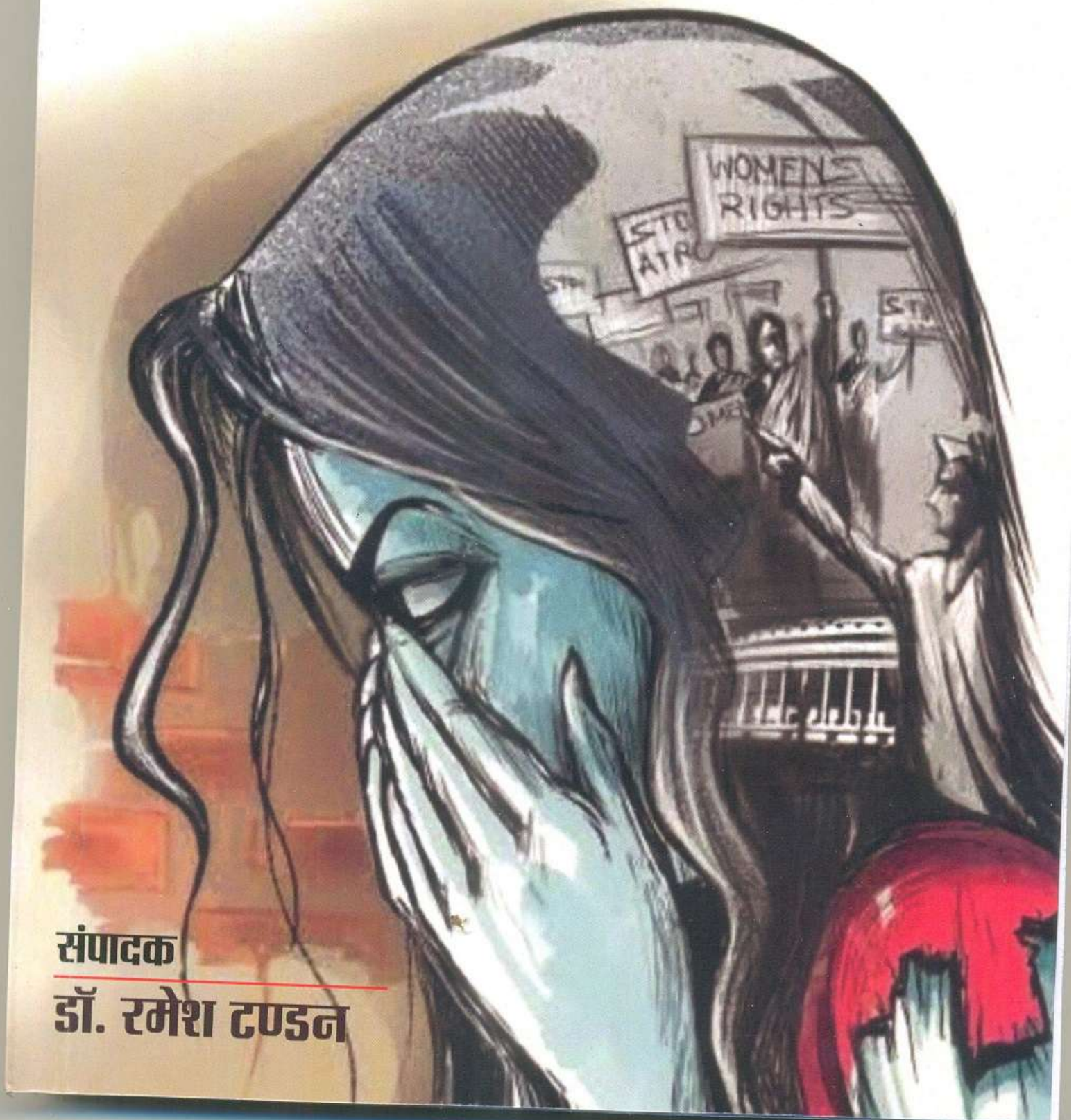

संपादक

डॉ. रमेश टण्डन

आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में
नारी–अस्मिता का धरातलीय सच

ISBN-978-81-944420-2-3

●

प्रकाशक
वैभव प्रकाशन
अमीनपारा चौक, पुरानी बस्ती रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : 0771-4038958, मो. 94253-58748
e-mail : sahityavaibhav@gmail.com
www.vaibhavprakashan.com

आवरण सज्जा : कन्हैया साहू
प्रथम संस्करण : फरवरी 2020
मूल्य : 500.00 रुपये
कॉपी राइट : लेखकाधीन

ADHUNIK KALIN HINDI SAHITYA MEN NARI–ASMITA KA DHARATALIY SACH
BY : DR. RAMESH TANDAN

●

Published by
Vaibhav Prakashan
Amin Para, Purani Basti
Raipur, Chhattisgarh (India)
First Edition : 2020
Price: Rs. 500.00

(पुस्तक में समाहित लेखों से संरक्षक, सम्पादक, प्रकाशक व आयोजन समिति का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। शोध–पत्रों में वर्णित तथ्य या विचार उसके लेखक के स्वयं के हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र रायगढ़ (छ.ग.) होगा और उसके लिए उस शोध–पत्र का लेखक जिम्मेदार होगा।)

समर्पण



V. C. Sajjanar (IPS)
Cyberabad Police Commissioner
को शोध–पत्रों से युक्त संपादित
यह पुस्तक इस विश्वास के साथ
समर्पित कि नारी–अस्मिता का मान हो.

अनुक्रम

1.	आधुनिक कालीन हिन्दी–साहित्य में नारी–अस्मिता का धरातलीय सच	डॉ. रमेश टण्डन	11
2.	भारतीय काव्य में नारी समाज का अनुशीलन	प्रो. राजकुमार लहरे	18
3.	नारी अपराध	नेहा विश्वकर्मा	26
4.	वर्तमान दौर में नारी का बदलता स्वरूप	श्रीमती अलका यादव	30
5.	महिला स्वास्थ्य, शिक्षा व देखभाल	मोना केवट	33
6.	हिन्दी साहित्य में नारी विमर्श	प्रदीप कुमार दास दीपक	35
7.	मेहरून्निसा परवेज के कथा साहित्य में नारी की स्थिति	डॉ. डेजी कुजूर	40
8.	नारी और समाज	श्रीमती मार्ग्रेट कुजूर	46
9.	नारी एवं समाज	दीपिका प्रजापति	52
10.	साहित्य में नारी के रूप	डॉ. सुनीता राठौर	55
11.	नारी और समाज	प्रो. रीता सिंह	57
12.	समकालीन हिन्दी कविताओं में स्त्री–चरित्र	श्रीमती मंजू देवी कोचे श्री नरेन्द्र कुमार कुलमित्र	62
13.	हिन्दी साहित्य में नारी–विमर्श	डॉ. आँचल श्रीवास्तव प्रज्ञा सिंह	75
14.	नारी और समाज	अविनाश बाड़ा	81
15.	नारी एवं नारी शिक्षा की महत्ता	कु. अलका रिनी खलखो	85
16.	नारी और भारतीय समाज	श्रीमती आशा भारद्वाज	89
17.	मन्नू भंडारी की कहानियों में बदलते परिवेश की स्त्री	डॉ. आकांक्षा मिश्रा	96
18.	साहित्य और समाज में स्त्री का स्वरूप	विनोद कुमार	102
19.	भारतीय ग्रामीण महिलाओं की अस्मिता	चरणदास बर्मन	107
20.	वर्तमान समाजिक परिदृश्य एवं नारी अस्मिता	डॉ. बी.एन. जागृत बिन्दु डनसेना	118

आधुनिक कालीन हिन्दी–साहित्य में नारी–अस्मिता का धरातलीय सच

डॉ. रमेश टण्डन
विभागाध्यक्ष–हिन्दी,
महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान
महाविद्यालय खरसिया, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

हिन्दी साहित्य में नारी

नारी–अस्मिता से तात्पर्य है, नारी का अस्तित्व, उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व का एहसास, उसका अपना एक दृष्टिकोण। विभिन्न युगों से अपने उलझे जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजती हुई नारी आज भी पुरूष के लिए ही नहीं स्वयं के लिए भी प्रश्न बनी हुई है। नारी अस्मिता के संदर्भ में मन्नू भण्डारी तथा चंद्रकांता के उपन्सायों का मूल्यांकन करती हुई शिवाजी विश्वविद्यालय से संगीता व्ही पाटिल 2007 में लिखती है कि नारी अस्मिता को नारी तथा पुरूष दोनों द्वारा उपेक्षित होना पड़ता है। उसे कभी शिक्षा नहीं दी जाती, तो कभी वह खुद इतनी उच्च शिक्षित होती है कि उसके विवाह में बाधा आ जाती है। पुरूष जिम्मेदारी न निभाये तो नारी को मातृत्व की इच्छा को दबाना पड़ता है। प्रेम में असफल होने के कारण अकेलेपन की समस्या सामने आती है। दाम्पत्य संबंधों में तनाव से संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। दिखावटी रिश्तों की समस्या भी है।

2005 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से रानी कोशी अपने शोध प्रबंध "नारी के बदलते रूप–स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटकों में" में लिखती है कि परिवर्तनशील नारी पुरूष के समकक्ष प्रेम संबंधों में या यौन संबंधों में स्वतंत्र व्यक्तित्व रखना चाहती है। नारी के व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए एक से अधिक पुरूष की आवश्यकता पर बल देने वाली देवयानी, मनीषा, सावित्री, केशी, कंचन रूपा जैसी नारियाँ यह सत्य भूल जाती हैं कि मॉडेन बनने की चक्कर में पड़कर वे पवित्र पारिवारिक आदर्शों को गंवार लेती हैं। अपनी अस्मिता के लिए प्रयत्नशील स्त्री, समाज–सम्मत, सभी नैतिक मूल्यों को पैरों तले कुचल कर आत्मसुख की दौड़ में मस्त घूमती रहती हैं। इस भ्रमण में अपने परिवार को भी तोड़ती हैं। पुराने जमाने में नारी पुरूष के आश्रय

में रहती है तो आज वह पुरूष के बराबर है। उसकी अस्मिता को लेकर समाज में हमेशा ही समय–सापेक्ष अनेकानेक प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। उनका समाधान हुआ है या नहीं। यह सब कुछ निरुत्तरित ही है।

महादेवी वर्मा अपने गद्य साहित्य में लिखती हैं, ''चाहे हिन्दू नारी की गौरव–गाथा से आकाश गूँज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल काँप उठा हो परन्तु, उसके लिए 'न सावन सूखे न भादों हरे' की कहावत ही चरितार्थ होती रही है। उसे अपने हिमालय को लजा देने वाले उत्कर्ष तथा समुद्रतल की गहराई से स्पर्धा करने वाले उपकर्ष दोनों का इतिहास आँसुओं से लिखना पड़ा है और सम्भव है, भविष्य में भी लिखना पड़े।'' सम्बलपुर विश्वविद्यालय से मंजू महापात्रा 2005 में ही अपने शोध प्रबंध में महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में वर्णित उनके विचारों को रेखांकित करती हुई लिखती है कि ''भारतीय पुरूष जैसे मनोरंजन के लिए रंग–बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय या घोड़ा पाल लेता है उसी प्रकार वह एक स्त्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु–पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है। हमारे समाज के पुरूष के विवेकहीन जीवन का सजीव चिन्ह देखना हो तो विवाह के समय गुलाब की खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए। उस समय, वह असमय प्रौढ़ा, कई दुर्बल संतानों की रोगिनी माता में कौन सी विवशता, कौन सी रूला देने वाली करुणा न मिलेगी।''

नारी जागरण के परिप्रेक्ष्य में रजनी पनिकर और चन्द्रकांता के उपन्यासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करती हुई कानपुर विश्वविद्यालय से सी ज्ञानेश्वरी 2011 में लिखती हैं कि आज हमारे समाज में नारी जिन–जिन समस्याओं का सामना कर नही है उनमें प्रमुख है–शोषण की समस्या। जहाँ एक ओर नारी को सारी सुविधाएँ और अधिकारी देकर उसका स्थान उन्नत बनाने का प्रयास हो रहा है वहीं दूसरी ओर उस पर शोषण का बोलबाला आज भी जारी है। दोनों लेखिकाओं ने घर–बाहर दोनों जगहों पर स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचार और शोषण का सच्चा एवं यथार्थ चित्रण करके सम्पूर्ण समाज को इस ओर सजग बनाया है। साथ ही नारी को केवल चीज तथा यंत्र मानने वाली समाज की मनोदशा का पर्दाफाश किया है। स्त्री सशक्तीकरण के कारण 'महिला युग' के नाम से उद्घोषित इस इक्कीसवीं सदी में स्त्री कामयाबी के उत्तुंग शिखर पर पहुँच गई है। अपितु आज भी उस पर अत्याचार और शोषण का बोलबाला हो रहा है तथा उसकी स्थिति अत्यंत

दयनीय एवं शोचनीय है। समाज का सच्चा और यथार्थ चित्रण साहित्य में मिलता है। अतः नारी और उसकी दयनीयता तथा समस्याएँ भी साहित्यकारों की नजरों से छिप नहीं सकी। परन्तु जैसे ही साहित्य जगत में महिलाओं ने पदार्पण किया; नारी को, उसकी समस्याओं को साहित्य में ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगा। महिला लेखिकाओं की रचनाओं में स्त्री जीवन की सच्चाई को उन्हीं के नजरिए से वाणी मिली और उनकी परेशानियों का समाधान ढूँढने का प्रयास भी किया जाने लगा।

पं. रविशंकर विश्वविद्यालय से सुनीता बोकड़े 2017 में लिखती हैं कि यदि स्त्री जीवन के स्याह पक्ष पर नजर डालें तो महिलाओं पर दिन प्रतिदिन हो रहे अत्याचारों की गणना करते हुए अत्यंत कष्टदायक सिहरन की अनुभूति होती है। कन्या भ्रूणहत्या, भेदभावपूर्ण पालन पोषण, महिला निरक्षरता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ससुराली–उत्पीड़न, पारिवारिक–कलह, नव–वधू वध, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, हत्या, सतीप्रथा और विधवाओं का घोर अनादर एवं दुर्दशा जैसी अत्यंत घृणित एवं दंडनीय कुकृत्यों के समाचार प्रायः प्रतिदिन ही आते रहते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय से सरिता विश्नोई 2011 में प्रस्तुत अपने शोध प्रबंध में लिखती है कि मैत्रेयी पुष्पा स्त्री की देह तथा आत्मा को एक–दूसरे से भिन्न नहीं मानती। चूँकि स्त्री का सर्वाधिक शोषण स्त्री–देह को आधार बनाकर ही किया जाता है, इसलिए वे स्त्री–मुक्ति के लिए उसकी दैहिक–मुक्ति को भी अनिवार्य मानती है। लेकिन दैहिक मुक्ति के नाम पर वे अपनी नायिकाओं के माध्यम से किसी प्रकार की अनैतिकता या व्यभिचार को प्रश्रय नहीं देतीं, अपितु इनकी नायिकाएँ अपनी देह पर अपना अधिकार जताकर उसे अपने स्वत्व की रक्षा के लिए हथियार के रूप में प्रयोग करती हैं। समाज में नारी–चेतना जाग्रत करने तथा नारी–सशक्तीकरण में हिन्दी की महिला लेखिकाओं ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ स्वतंत्रता पूर्व श्रीमती बंग महिला, प्रियम्वदा देवी, सुभद्राकुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, चन्द्रकिरण सोनरेक्सा इत्यादि कुछ गिनी–चुनी लेखिकाओं ने कथा–लेखन के माध्यम से समाज में स्त्री–चेतना जगाने में अपना अहम् योगदान दिया, वहीं स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् चन्द्रकिरण सोनरेक्सा, कंचनलता सब्बरवाल, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, कुसुम अंसल इत्यादि कथा–लेखिकाओं से लेकर वर्तमान में अनेक प्रसिद्ध लेखिकाएँ अपने लेखन को आधार बनाकर स्त्री–अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं और स्त्री–सशक्तीकरण का

मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

नारी अस्मिता का धरातलीय सच

दिल्ली की सड़क पर चलती बस में 23 साल की निर्भया के साथ सामूहिक बीभत्स बलात्कार होने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। 07 साल बाद, 22 जनवरी 2020 को आरोपियों को फांसी दिए जाने की सजा होती है। परन्तु नवभारत 08 जनवरी 2020 के अनुसार, जिस बस स्टैण्ड (मुनिरका) से निर्भया अपने दोस्त के साथ बस पर सवार हुई थी, वहाँ आज भी अंधेरा है और महिलाओं को अश्लील टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम वादे भी किए, पर वादा पूरा नहीं हुआ। रात्रि नौ बजे के बाद पूरा क्षेत्र गैरकानूनी पार्किंग में बदल जाता है।

नवभारत 07 दिसम्बर 2019 के अनुसार, मुख्य पंक्ति में ये समाचार छपा कि... "हैदराबाद रेप केस : पुलिस ने किया आरोपियों को ढेर, लोगों ने की फूलों की बारिश, जहाँ दरिंदगी, वहीं किया एनकाउंटर, पुलिस कमिश्नर बोले– कानून ने अपना काम किया।" परन्तु, इसका अगला भाग यह भी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम इस मुठभेड़ की जाँच करेगी।

नवभारत 06 दिसम्बर 2019 के अनुसार, मुख्य पंक्ति में ये समाचार छपा कि.... "हैदराबाद की घटना के कुछ दिनों बाद ही दूसरी घटना, दिसम्बर में गैंगरेप, मार्च में एफ आई आर, अब जिंदा जलाया, उन्नाव की घटना, उत्तरप्रदेश में कोर्ट जा रही रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया, आरोपियों ने चाकू मारा, फिर केरोसिन डाल आग लगाई।"

समाचार पत्र हरिभूमि 09 दिसम्बर 2019 के अनुसार, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 20 साल की महिला नर्स के साथ एक व्यक्ति ने अमानवीय कृत्य किया।

समाचार पत्र हरिभूमि 13 दिसम्बर 2019 के अनुसार, महाराष्ट्र के पुणे में 15 साल की नाबालिक लड़की के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

समाचार पत्र हरिभूमि 23 दिसम्बर 2019 के अनुसार, "राजस्थान में दो महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया है। जिसके बाद एक महिला का अपहरण कर ले जाया गया है। जिसमें दावा किया गया है कि महिलाओं का लगातार अपहरण किया जाता है जिसके बाद उनके साथ बलात्कार होता है। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब बलात्कार जैसे वारदात की खबर सामने न आती हो।"

समाचार पत्र हरिभूमि 27 दिसम्बर 2019 के अनुसार, गुजरात के सूरत

में 3 साल की बच्ची से हुए अमानवीय कृत्य व हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा दी गई।

समाचार पत्र हरिभूमि 01 जनवरी 2020 के अनुसार, उत्तरप्रदेश में सीतापुर के लहरपुर में 25 साल की महिला को दो दिनों तक बंदी बनाकर तीन लांगों ने उनके साथ अमानवीय कृत्य किया।

समाचार पत्र हरिभूमि 01 जनवरी 2020 के अनुसार, मुंबई के बांद्रा इलाके में 60 साल के एक बुजुर्ग ने 25 साल की एक महिला के साथ अमानवीय कृत्य किया।

समाचार पत्र हरिभूमि 08 जनवरी 2020 के अनुसार, बिहार की राजधानी पटना में मॉल के बाहर चार लड़कों ने बंदूक की नोक पर एक लड़की को अगवा किया, फिर एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया।

समाचार पत्र हरिभूमि 21 दिसम्बर 2019 के अनुसार, देश में 5 ऐसे सामूहिक अमानवीय कृत्य हुए हैं जिसमें पीड़िताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है–

1. रांची रेप केस– झारखण्ड के रांची में बी टेक की छात्रा के साथ अमानवीय कृत्य और जिंदा जलाने की घटना में आरोपी राहुल रॉय को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।
2. हैदराबाद गैंगरेप– आरोपियों ने महिला पशु चिकित्सक के साथ पहले सामूहिक अमानवीय कृत्य किया, फिर जिंदा जला दिया।
3. उन्नाव रेप केस– आरोपी ने युवती का पहले अमानवीय कृत्य किया, फिर कुछ दिन बाद उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।
4. दिल्ली निर्भया गैंगरेप कांड– 16 दिसम्बर 2012 को चलती बस में 06 आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक अमानवीय कृत्य कर उसे बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
5. उन्नाव रेप कांड– पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया। बयान देने के लिए जाते वक्त आरोपी ने 28 जुलाई को युवती की कार में एक ट्रक से टक्कर मरवा दी थी, जिसमें पीड़िता की मौत हो गई।

समाचार पत्र हरिभूमि 07 दिसम्बर 2019 के "मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की

रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में रेप, गैंगरेप, मारपीट, छेड़छाड़ और अपहरण करने के मामले में हर दिन 36 महिलाएँ शिकार होती हैं।" "दिल्ली पुलिस से मिली ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हर दिन दिल्ली में 6 महिलाएँ रेप का शिकार होती हैं। बीते 7 सालों में दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा महिलाएँ किसी ना किसी तरह के वारदातों का शिकार हुई हैं अगर रेप और गैंगरेप के ममालों की बात की जाए तो इस साल इन बारदातो में बढ़ोत्तरी देखी गई है, जो काफी चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ 2018 और 19 में सबसे ज्यादा अपहरण और रेप का शिकार महिलाएँ हुई हैं।"

इस प्रकार दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, बिहार समेत देश के कई राज्यों में पिछले दो सालों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों की तादात बढ़ी है। इस संबंध में नवभारत के द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर 2019 को किया गया खुलासा उल्लेखनीय है, "पिछले दो सालों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों के लेकर पुलिस की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे अपराधों को ज्यादातर सूखे नशे (गांजा, पाउडर, नशीली दवा आदि) में धुत अपराधियों ने ही अंजाम दिया है।" नवभारत की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि शराब के दाम बढ़ने के बाद ज्यादा नशे के लिए नशेड़ी शराब में इन नशीली दवाओं और पाउडर को मिलाकर शराब का सेवन करते हैं, इससे तेजी से नशा लगता है, ऐसी शराब का सेवन करने के बाद सोचने–समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और अपराधी वरदात करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूखे नशे की सप्लाई का नेटवर्क तोड़ने में पुलिस फेल रही है।

कुछ दिनों के भीतर घटित हैदराबाद और उन्नाव रेप केस से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं जिसे नवभारत ने दिनांक 08 दिसम्बर 2019 को प्रमुखता से लिखा– क्राइम ब्रांच रायपुर के आई जी श्री आनंद छाबड़ा ने यह व्यवस्था दी कि मुसीबत में फंसी महिलाओं तक पुलिस तुरंत पहुँचेगी, थानेदारों से कहा कि हॉस्टल, कॉलेज व होटलों से बात करें, जगह–जगह हेल्पलाईन नंबर (112, 1091, 100, 108) के साथ–साथ सी एस पी, थाना प्रभारियों व थानों के नंबर भी उपलब्ध कराए जाएं, थानेदार सुनसान जगहों की मार्किंग करें व वर्किंग महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।

ये मात्र दो–चार दिवसों के समाचार पत्रों का अवलोकन विश्लेषण है।

ऐसे अनगिनत और हकीकत मामले अखबारों में मिल जाएंगे, जिस पर हम पाठकों को चिंतन–मनन कर समाधान की तलाश में जुट जाना है। कानून, देर से ही सही, अपना काम कर रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, साहित्य साधक भी अपनी कलम से खूब लिख रहा है। पर कहाँ कमी है कि पिछले दो सालों में महिला अपराध बढ़ गए?

शायद जन–जागरूकता की कमी...!!!

शायद कठोर कानून की कमी, त्वरित कानूनी–कार्यवाही की कमी..!!!

शायद महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण की कमी...!!!

संदर्भः–

1. पाटिल, संगीता व्ही; नारी अस्मिता के संदर्भ में मन्नू भंडारी तथा चन्द्रकांता के उपन्यासों का मूल्यांकन, 2007, शिवाजी विश्वविद्यालय.
2. कोशी, रानी; नारी के बदलते रूप–स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटकों में, 2005, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय.
3. महापात्रा, मंजू; 'नारी' महादेवी के गद्य साहित्य में, 2005, सम्बलपुर विश्वविद्यालय.
4. सी ज्ञानेश्वरी, नारी जागरण के परिप्रेक्ष्य में रजनी पनिकर और चन्द्रकांता के उपन्यासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, 2011, कानपुर विश्वविद्यालय.
5. बोकड़े, सुनीता; नारी सशक्तीकरण का उनकी निर्णय क्षमता और वृत्तिक परिपक्वता पर प्रभाव का अध्ययन, 2017 पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय.
6. विश्नोई, सरिता; नारी विमर्श के संदर्भ में मैत्रेयी पुष्पा के कथा साहित्य का अध्ययन, 2011, पंजाब विश्वविद्यालय.
7. हरिभूमि दिनांक– 07 दिसम्बर 2019, 09 दिसम्बर 2019, 13 दिसम्बर 2019, 23 दिसम्बर 2019, 27 दिसम्बर 2019, 01 जनवरी 2020, 08 जनवरी 2020
8. नवभारत दिनांक– 06 दिसम्बर 2019, 07 दिसम्बर 2019, 08 दिसम्बर 2019, 09 दिसम्बर 2019, 08 जनवरी 2020

■■